संख्या-21/2018/960/सैंतीस-2-2018-1(12)/2015

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-10 मार्च, 2018

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2403-पशुपालन के अन्तर्गत गोसेवा आयोग की स्थापना एवं कार्य संचालन योजनान्तर्गत उपलब्ध अवशेष धनराशि के हस्तान्तरण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-3143/सा0-2/बारह-549/गो.से.आ., दिनांक-09.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोसेवा आयोग की स्थापना एवं कार्य संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-19-गोसेवा आयोग की स्थापना एवं कार्य संचालन (राज्य योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित समस्त धनराशि रू0-50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। उपर्युक्त संदर्भित पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि स्वीकृत धनराशि में से दिनांक 09-03-2018 तक रू0-12,85,261.00 का व्यय कर लिया गया है तथा रू0-37,14,739.00 अवशेष है। अतएव उक्तानुसार अवशेष धनराशि को आहरित कर अध्यक्ष, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने की अनुमति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. उक्त धनराशि को आहरित कर किसी भी स्तर पर पी.एल.ए./बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
2. गोसेवा आयोग की स्थापना एवं कार्य संचालन (रा.यो.) योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत/आवंटित समस्त धनराशि रू0-50.00 लाख का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही अनिवार्य रूप से कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. धनराशि का उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत है तथा मानक मद से विचलन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
4. धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
5. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- कृपया तद्नुसार अवगत होते हुए प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-21/2018/960(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सचिव/गोसेवा अधिकारी, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, 10वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।